

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-40/949/पांच-8-2016-जी0(39)/2016

लखनऊ : दिनांक 01 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4459/चि0-3-2010-08(नियुक्ति)/2010, दिनांक 30-12-2010 द्वारा डा0 बासित अली, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 अली द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली द्वारा डा0 अली की तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटौरिया, फरीदपुर, बरेली में की गयी, जहां डा0 अली द्वारा दिनांक 22-01-2011 को कार्यभार ग्रहण किया गया तथा दिनांक 06-08-2013 से बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। डा0 बासित अली द्वारा पत्र दिनांक 02-12-2015 द्वारा योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के पत्र दिनांक 29-02-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 बासित अली, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 बासित अली, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27-09-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

क्रमशः

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-40/949(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 बासित अली, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 27-09-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली।
- 6- कोषाधिकारी, बरेली।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।